राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/नरेगा/ई–गर्वनेन्स/10 जयपुर, दिनांक : 25 FEB 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **राष्ट्रीय ई–गर्वनेन्स के संबन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राष्ट्रीय ई–गर्वनेन्स योजनान्तर्गत आसान, किसी भी समय एवं किसी भी स्थान पर राजकीय सेवाए उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना राजकॉम्प के माध्यम से तैयार की जा रही है, जिनके द्वारा मै. विप्रो लिमिटेड को अनुबन्धित किया गया है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना हेतु उक्त सुविधाए उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर योजनान्तर्गत नियोजित एमआईएस मैनेजर, तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु नामित किये गये है। जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी योजना हेतु नोडल अधिकारी नामित किये गये है। चयनित अधिकारियों को राजकॉम्प द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा एवं ये अधिकारी राष्ट्रीय ई–गर्वनेन्स योजना के कियान्वयन हेतु जिम्मेदार होंगे। मै. विप्रो लिमिटेड की तकनीकी टीम द्वारा नोडल ऑफिसर एवं तकनीकी अधिकारियों (एमआईएस मैनेजर) से सम्पर्क किया जायेगा। इस संबन्ध में मै. विप्रो लिमिटेड को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावें।

**भवदीय**

(तन्मय कुमार)
**आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस**

**प्रतिलिपिः**

1. अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. विकास अधिकारी एवं कार्यकम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।
3. जिला/ब्लॉक एमआईएस मैनेजर समस्त।
4. रक्षित पत्रावली।

**अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस**